Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- प्रतापगढ मे पुलिस निरीक्षक से 2,87,150/- रूपये रिश्वत राशि बरामद किये गई जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस निरीक्षक को डिटेन किया गया।

जयपुर, दिनांक 13 मई, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **प्रवीण कुमार चारण, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ** को डिटेन किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली की परिवादी ने अपने भाई के विरूद्ध पुलिस थाना धोलापानी मे दर्ज बलात्कार के मामले में मदद करने व मारपीट नही करने व उसके पिताजी को नही फंसाने की एवज में परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. डूंगरपुर के **पुलिस उप अधीक्षक रतनसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी प्रवीण कुमार चारण, पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी जिला प्रतापगढ जो रिश्वत राशि परिवादी के परिचित से ग्रहण कर यात्रा कर रहे थे। ब्यूरो टीम द्वारा इनके प्राईवेट वाहन को नरसिंहपुरा टोल नाके निम्बाहेडा हाईवे पर रूकवाकर चौकिंग की गई तो उक्त वाहन मे प्रवीण कुमार चारण, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी, जिला प्रतापगढ से कुल 2,87,150/- रूपये रिश्वत राशि बरामद हुई। जिस संबंध मे प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना धोलापानी ने कोई संतोषप्रद जवाब नही दे पाये। जिस पर आरोपी प्रवीण कुमार चारण पुलिस निरीक्षक को डिटेन किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन मे आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। आरोपी के सरकारी क्वार्टर के निवास की भी तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसधान किया जायेगा।